**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**06.03.2020 के**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1881 का उत्‍तर**

**रेलगाड़ियां चलाने के लिए निजी क्षेत्र हेतु नीति**

**आयोग का अर्हता संबंधी अनुरोध प्रारूप**

**1881. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमारः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए अर्हता संबंधी अनुरोध (आरएफक्यू) के प्रारूप दस्तावेज में देश भर में 150 यात्री रेलगाड़ियां चलाने हेतु निजी कंपनियों को छूट प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि ऐसी छूट प्रदान किए जाने से आपूर्ति पक्ष (सप्लाई साइड) गंभीर रूप से प्रभावित होगा जिसके परिणामस्वरूप रेलवे एक संगठन के रूप में प्रभावित होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**रेल और वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)**

(क) से (घ): भारतीय रेल नेटवर्क के 100 मार्गों पर आधुनिक प्रौद्योगिकी वाली गाड़ियां चलाने और यात्रियों को विश्व स्तरीय सेवाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ चुनिंदा मार्गों पर यात्री गाडि़यां चलाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्‍यम से निजी भागीदारी की अनुमति देने के लिए नियम एवं शर्तों का सुझाव देने के लिए एक वर्ष की अवधि हेतु 2019 में सचिवों के समूह (जीओएस) का गठन किया है। यह प्रस्‍तावित है कि गाडि़यों का परिचालन भारतीय रेल के कर्मीदल और गार्डों द्वारा किया जाएगा और संरक्षा प्रमाणन भारतीय रेल के पास रहेगा। इस जीओएस की फरवरी 2020 के अंत तक सात बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। हितधारकों से फीडबैक लेने के लिए नीति आयोग और भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर पात्रता के लिए मसौदा अनुरोध और मसौदा रियायत समझौता अपलोड किए गए हैं। इस संबंध में ब्‍यौरो को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। निजी गाड़ी परिचालकों को नई गाड़ी सेवाएं चलाने के लिए भारतीय रेल को कर्षण प्रभार और अन्य लागू प्रभारों का भुगतान करना होगा। भारतीय रेल द्वारा परिचालित मौजूदा गाड़ी सेवाओं में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

\*\*\*\*\*